AMPLUS SOLAR SHAKTI PRIVATE LIMITED

AMPLUS SOLAR
WITH YOU AT THE CORE

Ref ASSPL_UPNEDA_23-24_22

Date: August 07, 2023

To,
The Director
UPNEDA, Lucknow

Subject: "Allotment of Govt Land falling inside the proposed Solar Plant Area at Jhansi District".

Respected Sir/Ma'am,

We, Amplus Solar Shakti Private Limited are part of Amplus Solar, i.e., the renewable energy platform of PETRONAS, a global fortune 200 conglomerate with presence in over 50 countries. Petronas invests in hydrocarbon and renewables across the globe, and it owns assets of USD 154 billion. Amplus Solar owns a fleet of 1 GW_p of operational and under construction solar assets in India, Middle East, Malaysia, and Vietnam

As you are aware after commissioning two successful project in Uttar Pradesh, we are coming up with 50 MW Solar Power Plant in Jhansi District for which connectivity is already secured at UPPTCL 132 kV Gursarai Substation and ~230 Acres of land is under process of acquisition through lease for 29 years and 6 months in the village Maigaon, Barora, Ghuraiya & Bhadokar, Tehsil Tehrauli, District Jhansi.

Furthermore, with reference to the recent GO of Uttar Pradesh we are requesting for allotment of government land to Solar Power Plant as per letter No. **संख्या: 1050/87-अति050सो0वि0/2023** dated August 03, 2023.

In reference to the above subject matter, as desired by your good office we are sharing the relevant documents along with this letter to the High-Level Committee formed for Govt land allotment.

For Amplus Solar Shakti Pvt Ltd.

Rupesh Luthra
DGM – Project Development

AMPLUS SOLAR SHAKTI PVT. LTD.

निदेशक
यूपीनेडा

2303

Encl:. 1. List of Private Survey Number (Annexure 1)
2. List of Govt. Survey Numbers (Annexure 2)
3. Land Layout (Annexure 3)
4. Connectivity Agreement (Annexure 4)

प्राप्त 16/08/2023

Sr. C.
16/8/2023
SPO

Annexure

Govt Land					
S. No	Village	Khata No.	Survey no.	Area (In Ha)	Area (In Acres)
1	Maignon	398	83	0.287	0.7092
2	Maignon	398	85	0.04	0.0988
Total				0.327	0.808

Chak-road					
S. No	Village	Khata No.	Survey no.	Area (In Ha)	Area (In Acres)
1	Barora	333	766	0.044	0.1087
2	Barora	333	788	0.057	0.1408
3	Barora	333	786	0.008	0.0198
4	Maigaon	403	86	0.174	0.43
5	Maigaon	403	95	0.185	0.4571
6	Maigaon	403	59	0.032	0.0791
7	Maigaon	403	54	0.073	0.1804
8	Ghuraiya	1146	326/1777	0.028	0.0692
9	Ghuraiya	1146	335	0.206	0.509
10	Ghuraiya	1146	345	0.109	0.2693
Total				0.916	2.2634

AMPLUS SOLAR SHAKTI PVT. LTD.

प्रेषक,

निदेशक,
यूपीनेडा,लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद– झांसी।

पत्रांकः 2921/नेडा–एसई–एमप्लस सोलर शक्ति प्रा.लि/50 मे.वा/सरकारी भूमि लीज/2023 दिनांक 22/8/2023

विषयः मैसर्स एमप्लस सोलर शक्ति प्रा.लि. नई दिल्ली द्वारा ऑपेन एक्सेस के अन्तर्गत 50 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु ग्राम0–मौगांव बरोरा घुरैया एवं भदोकर, तहसील–तेहरौली ,जनपद– झांसी में चिन्हांकित सरकारी भूमि 0.808 एकड़ एवं चकरोड़ की भूमि 2.2634 एकड़ कुल 3.0714 एकड़ सरकारी भूमि को सौर ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत लीज पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मैसर्स एमप्लस सोलर शक्ति प्रा.लि. नई दिल्ली के पत्र संख्या एससपीएल–यूपीनेडा–23–24–22 दिनांक 07.08.2023 (प्रति सलंग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 50 मेगावाट मेगावाट क्षमता सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु ग्राम0–मौगांव बरोरा घुरैया एवं भदोकर, तहसील–तेहरौली ,जनपद– झांसी में चिन्हांकित सरकारी भूमि 0.808 एवं चकरोड़ की भूमि 2.2634 एकड़ कुल 3.0714 सरकारी भूमि को लीज पर उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के कम में सूचनीय है कि राजस्व अनुभाग द्वारा शासनादेश संख्या 5/ 2023 / प्र0स0–53/एक–1–2023–रा0–1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 (प्रति सलंग्न) निर्गत किया गया है,जिसमें उल्लेखित है कि "उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति–2022 से आच्छादित परियोजना के कियान्वयन हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा–77 (1) की भूमियों को छोड़कर धारा–59 की उपधारा–2 के खण्ड–(एक), (तीन) तथा (चार) की भूमि को 1 रूपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिये पट्टे पर प्रशासकीय विभाग के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जो अपने स्तर से परियोजना के कियान्वयन हेतु उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को उपलब्ध कराया जायेगा"

तत्कम में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1050/87–अति0ऊ0स्रो0वि0/2023 दिनांक 03 अगस्त,2023 (प्रति सलंग्न) के द्वारा सौर ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये है।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 01 में उल्लेखित है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र के निवेशको को रू. 15000/– प्रति एकड़/प्रतिवर्ष के लीज रेन्ट पर तथा सार्वजनिक उपकमों हेतु रू0 1.00 प्रति एकड़/प्रतिवर्ष के सांकेतिक मूल्य पर लीज पर 30 वर्षो के लिए भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 08 उल्लेखित है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पास जो भूमि उपलब्ध होगी उसे प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर लीज पर दिये जाने के लिए प्रस्तावित की जायेगी। निवेशक द्वारा एक महीने के अन्दर अपनी फाइनेन्शियल नेटवर्थ,डीपीआर,बैकवर्ड एण्ड फारवर्डलिंकेज तथा अन्य सुसंगत विवरण यूपीनेडा के समक्ष प्रस्तुत करने होगे। उसके बाद ही उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरांत लीज डीड निष्पादित की जा सकेगी।

शासनादेश के बिन्दु सख्या 13 में उल्लेखित है कि निवेशक द्वारा वार्षिक लीज रेन्ट नियमित रूप से अग्रिम के रूप में यूपीनेडा में जमा किया जायेगा।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 14 में उल्लेखित है कि निवेशक से प्राप्त होने वाले वार्षिक लीज रेन्ट को यूपीनेडा द्वारा सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जायेगा। यूपीनेडा द्वारा इस हेतु सभी भूमि का अलग–अलग लेखा बनाकर सुरक्षित रखा जायेगा।

उपरोक्त के कम में 50 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु चिन्हांकित सरकारी भूमि 3.0714 एकड़ लीज पर उपलब्ध कराये जाने हेतु यूपीनेडा द्वारा लीज रेंट की वार्षिक धनराशि रू. 4.00 (रूपये चार मात्र) को राजकोष लेखाशीर्षक"0029– भूराजस्व–800–अन्य प्राप्तियां–08–मालकाना–राजस्व–0806 प्रकीर्ण प्राप्तियां" में जमा किया गया है (चालान की मूलप्रति सलंग्न।)

अस्तु उपरोक्त के दृष्टिव्य आपसे अनुरोध है कि सौर पावर परियोजना की स्थापना ग्राम0–मौगांव बरोरा घुरैया एवं भदोकर, तहसील–तेहरौली ,जनपद– झांसी में चिन्हांकित सरकारी भूमि 0.808 एवं चकरोड़ की भूमि 2.2634 एकड़ कुल 3.0714 सरकारी भूमि को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में 30 वर्ष हेतु पट्टे पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सलंग्नकः–यथोक्त।

(अनुपम शुक्ला)
निदेशक,यूपीनेडा।

प्रतिलिपिः–1. मैसर्स एम्पलस सोलर शक्ति प्रा.लि नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपम शुक्ला)
निदेशक,यूपीनेडा।

कोषागार प्रपत्र–209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–2
प्रपत्र संख्या–43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा : कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम : निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, लखनऊ
2. पता :
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या : (यदि आवश्यक हो)
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण : (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।) सोलर पार्क परियोजना अन्तर्गत जनपद-झांसी के 50 मेगावाट के आई हेतु लीज रेंट की धनराशि जमा है रु0 04.00
5. चालान की सकल राशि :
6. चालान की निबल राशि :
7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर : "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालखाना-राजस्व-0806 प्रकीर्ण प्राप्तियाँ"
8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड :

मुख्य लेखा–शीर्षक				उप मुख्य–शीर्षक		लघु–शीर्षक			उप–शीर्षक		ब्यौरेवार–शीर्षक		धनराशि (अंको में
0	0	2	9	0	0	8	0	0	0	8	08	06	04=00
													/
												योग	04=00

धनराशि (शब्दों में) : (रुपया चार मात्र)

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

निदेशक
उत्तर प्रदेश नवीन एवं
नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
लखनऊ
जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या : HJ38001

अंको में रू0	4/-
शब्दों में रू0	

दिनांक :

भारतीय स्टेट बैंक
राज० कोष० शाखा–07806
नगर
SBI 18 AUG 2023 SBI
PF ID 7487312
अमन कुमार सोनकर
हस्ताक्षर

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/
बैंक की मुहर सहित